कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, ,गाजीपुर।

सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायपालिका, गाजीपुर के पश्चिमी प्रांगण में स्थित चाय, नमकीन एवं मीठा की दुकान नं0–01 एवं 02 की नीलामी इस वित्तीय वर्ष 2019–20 (माह जुलाई 2019 से मार्च 2020 तक 09 माह) हेतु नियमानुसार दिनांक 12/07/2019 को सायं 04.00 बजे मुख्यालय स्थित दस कक्षीय न्यायालय भवन के मुख्य सभागार में की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होकर नीलामी बोली में भाग ले सकते है।

नीलामी की शर्ते निम्नवत हैं :–

1– सबसे अधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति की बोली स्वीकार की जायेगी, लेकिन साथ ही माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को किसी भी उच्चतम बोली को बिना कारण बताये सरसरी तौर पर निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

2– बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली बोलने से पूर्व प्रत्येक दुकान हेतु रू0 5,000/–की नकद धनराशि बतौर जमानत पृथक–पृथक जमा करनी होगी साथ ही पहचान पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र जमा किया जाना अनिवार्य है।

3– बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा ठेका पर ली गयी दुकान की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

4– प्रत्येक दुकानदार को मूल्य सूची दुकान पर लगानी होगी। दुकान तथा उसके आस–पास के स्थान को स्वच्छ रखना होगा। दुकान पर बिकने वाली समस्त खाद्य सामग्रियॅा ताजी एवं स्वच्छ होनी चाहिए। धूल एवं मक्खियो से बचाव हेतु खाद्य सामग्रियो को ढ़क कर रखना होगा, ऐसा न करने पर ठेका किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।

5– जनपद न्यायालय के अधिकारियो एवं कर्मचारियो को खाद्य सामिग्रयॉ उचित मूल्य पर देना होगा।

6– प्रभारी अधिकारी, नजारत किसी भी समय किसी भी दुकान की जॉच कर सकते हैं। संबंधित दुकानों की जॉच करने का अधिकार सुरक्षित हैं।

7– नीलामी की कार्यवाही होने के पश्चात प्रत्येक नीलामी कर्ता को 25 प्रतिशत धनराशि अविलम्ब जमा कराना होगा तथा नीलामी बोली अनुमोदित होने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि एक सप्ताह में जमा कराना होगा।

8– जिस ठेकेदार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 अथवा इसके पूर्व के ठेके की शत प्रतिशत धनराशि जमा नही की गयी है, उसे वित्तीय वर्ष 2019–20 के ठेके में बोली बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

मुख्यालय, गाजीपुर स्थित पश्चिमी प्रांगण में स्थित दुकानो की निर्धारित न्यूनतम बोली

1– चाय, नमकीन, मिठाई–प्रथम दुकान– (केवल माह जुलाई 2019 से मार्च 2020 तक 09 माह तक के लिए) रू0 42,975/–

2– चाय, नमकीन, मिठाई–दितीय दुकान–(केवल माह जुलाई 2019 से मार्च 2020 तक 09 माह तक के लिए) रू0 31,650/–

(गुलाब सिंह–।।)
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय/
अध्यक्ष, क्रय समिति,
जनपद न्यायालय, गाजीपुर।

दिनांक–जुलाई 05 ,2019

05-7-19